केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान
(कार्यालय जन सूचना अधिकारी)
सहारनपुर

पत्रांक: सीपीपीआरआई/एए/2018/08(आई)/281/
दिनांक: दिसम्बर 27, 2018

मोहम्मद इस्लाम, ...अपीलार्थी
जे.आर.एफ.
सीपीपीआरआई
सहारनपुर-247001

बनाम
श्री एम. के. गुप्ता .... प्रतिवादी
जन सूचना अधिकारी
केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान
सहारनपुर-247 001

निर्णय की तिथि: दिसम्बर 27, 2018

तथ्य:

दिनांक 27.12.2018 को श्री एम. के. गुप्ता, जन सूचना अधिकारी व श्री ए. के. सक्सेना, प्रशासनिक अधिकारी, सीपीपीआरआई, सहारनपुर ने केस से सम्बंधित सभी कागजात प्रस्तुत किए ।

अपीलार्थी, मोहम्मद इस्लाम, जे.आर.एफ.,सीपीपीआरआई, सहारनपुर ने अपने आर.टी.आई. आवेदन दिनांकित 12.11.18 द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम-२००५ के अंतर्गत कुछ सूचनाएँ मांगी थी।

सूचना, प्रशासनिक अधिकारी,सीपीपीआरआई,सहारनपुर से संबन्धित होने के कारण, जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर ने संबन्धित सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रशासनिक अधिकारी, सीपीपीआरआई, सहारनपुर को पत्रांक: सीपीपीआरआई/आर.टी.आई./सी.आई.सी./2018/10(आई)/281/ दिनांक: 14.11.18 द्वारा आग्रह किया था। प्रशासनिक अधिकारी, सीपीपीआरआई, सहारनपुर ने अपने पत्रांक:CPPRI/P/M/3/9/VII/ दिनांकित 11.12.2018 द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई। उत्तर से असंतुष्ट होते हुए अपीलार्थी, मोहम्मद इस्लाम ने एक अपील दिनांकित 13.12.18 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से उपरोक्त आर. टी. आई. की सूचना प्राप्त करने हेतु अपील की है ।

दिनांक 27.12.18 को मोहम्मद इस्लाम ने स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा ।

<u>प्रासंगिक तथ्य और निर्णय</u>:

सभी पेपर देखे गए एवं उपरोक्त अपील पर विचार किया गया । जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये मोहम्मद इस्लाम की उपरोक्त अपील की बिन्दुवार सूचना इस प्रकार है:

<u>बिन्दु स॰ (1) (2) व (3):</u>

द्वारा वांच्छित सूचना निम्नवत संलग्न की जाती है:

1. लोवर डिवीजन क्लर्क की लिखित परीक्षा को निरस्त करने हेतु नोट दिनांकित 2.5.18 एवं 27.12.18 (ईमेल)।
२. श्री रवीद्र राणा का शिकायत पत्र दिनांकित 11.6.18.

<u>बिन्दु स॰ (4):</u>

विंदु स॰ 4 मोहम्मद इस्लाम के आर॰टी॰आई॰ प्रार्थना पत्र दिनांकित 12.11.18 से संबन्धित नहीं है।

<u>बिन्दु स॰ (5):</u>

जन सूचना अधिकार के अंतुर्गत प्रश्नों का जवाब व समाधान संभव नहीं है। जन सूचना अधिकार के अंतर्गत उपलब्ध सूचना ही दी जा सकती है ।

तदनुसार शिकायत का निपटारा किया जाता है।

(बी॰ पी॰ थपलियाल)
निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी

28/12/18

मोहम्मद इस्लाम
जे.आर.एफ.
सीपीपीआरआई
<u>सहारनपुर</u>-247001

प्रतिलिपि:

1. डॉ. एम. के. गुप्ता, वैज्ञानिक ई-II एवं जन सूचना अधिकारी, सीपीपीआरआई, सहारनपुर - सूचनार्थ
२. प्रशासनिक अधिकारी,सीपीपीआरआई,सहारनपुर
निदेशक के सचिव- निदेशक के सूचनार्थ

28/12/18

18

Note

Written test for the posts of LDC has been fixed on 19.5.2018 at IIT Roorkee, Saharanpur Campus vide page no. 105 which is place opposite in the file But it was informed verbally by IIT that due to non-availability of manpower on 19.5.2018 the date of written test may be held in the mid of June 2018.

In view of the above, it is proposed to postpone the written test and re-schedule on 17.6.2018.

Submitted to Director for kind approval

2/5/18

AO 2/5/18

2/5/18
DIRECTOR

Gmail

Brijendra Kumar Negi <bknegi1958@gmail.com>

Fwd: Fw: Fwd: Corruption in recruitment in CPPRI

1 message

Anoop Kumar Saxena <anoopks1960@gmail.com> Thu, Dec 27, 2018 at 3:05 PM
To: Brijendra Kumar Negi <bknegi1958@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
From: **Bipin Thapliyal** <bipin_thapliyal@yahoo.com>
Date: Thu, Sep 6, 2018 at 7:53 PM
Subject: Fw: Fwd: Corruption in recruitment in CPPRI
To: Brijendra Kumar Negi <bknegi1958@gmail.com>, Anoop Kumar Saxena <anoopks1960@gmail.com>

Dear Mr. Saxena,

Please refer the trailing complaint from Mr Raman Arya, by email dated 6 Sept., 2018, regarding corruption in recruitment in CPPRI, submitted to Dr. Vandana Kumar, JS, paper.

In the above complaint reference is made about the recruitment for the post of LDC, for which written test will be conducted on 12 Sept. 2018 (Sunday) indicating foul play by undersigned.

In view of the above, we may postpone the written test till further notice. You may please contact all candidates telephonically/ email / sms for the same.

Dr. Bipin Thapliyal

Sent from Yahoo Mail on Android

----- Forwarded message -----
From: "Director Cppri" <director.cppri@gmail.com>
To: "bipin_thapliyal@yahoo.com" <bipin_thapliyal@yahoo.com>
Cc:
Sent: Thu, 6 Sep 2018 at 17:03
Subject: Fwd: Corruption in recruitment in CPPRI

केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान
Central Pulp & Paper Research Institute
An autonomous organisation under the administrative control of Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India
(Registered under Societies Act)

Dr. B.P. Thapliyal
Director
Central Pulp & Paper Research Institute
Paper Mill Road, Himmat Nagar,
Saharanpur-247001, U.P. (India)
Tel: +91 132 2714050, 2714051

---------- Forwarded message ---------
From: **Banana** <ramanarya45@gmail.com>
Date: Thu, Sep 6, 2018 at 4:34 PM
Subject: Corruption in recruitment in CPPRI
To: vandanak.cgda@nic.in <vandanak.cgda@nic.in>
Cc: secy-ipp@nic.in.com <secy-ipp@nic.in.com>, cimoffice@nic.in <cimoffice@nic.in>, mz.khan@nic.in <mz.khan@nic.in>, director.cppri@gmail.com <director.cppri@gmail.com>

Central Pulp & Paper Research Institute
DIRECTOR'S SECRETARIAT
Received on
14 JUN 2018
Saharanpur (U.P.)

दिनांक 11.06.2018

सेवा में,

मानवीय श्री सुरेश प्रभु जी
वाणिज्य एवं उधोग मंत्री
भारत सरकार उधोग भवन
नई दिल्ली

विषय :— केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान सी.पी.पी.आर.आई. सहारनपुर में होने वाली नियुक्तियो के संबंध में अपनायी जा रही अनियमिताए।

महोदय,

आपके संज्ञान में उपरोक्त संस्थान में जो आपके मंत्रालय के अधीन है। नियुक्तियो में हो रही गंभीर प्रकृति की अनियमताओ को लाना चाहता हुँ।
अभी हाल में संस्थान में लोवर डिविजन कर्लक की पोस्ट जो 2017 में टाईम्स आफ इण्डियां व रोजगार समाचार प्रत्रो मे प्रकासित की गयी थी। उसकी दिनांक 17.06.2018 को संस्थान द्वारा लिखित परीक्षा ली जा रही है।

उससे पहले संस्थान मे लोवर डिविजन कर्लक की पोस्ट दिनांक 20.02.2009 को भी विभिन्न समाचार प्रत्रो मे प्रकासित की गयी थी। इस पद हेतू एक व्यक्ति मों इस्लाम ने भी आवेदन किया था। मों इस्लाम इस पद की आयु सीमा व अन्य योग्ताओ के अनुसार फिट नही बैठता था। उस समय उसकी आयु लगभग 38 वर्ष थी (जन्मतिथि 03.02.1972) है । वह पोस्ट निरस्त कर दी गयी थी। परन्तु सी.पी.पी.आर.आई. के अधिकारीयो ने साक्षाताकार, लिखित परीक्षा से पहल ही शायद उसका सेलक्सन फिक्स कर लिया है। जो इस बात से स्पष्ट है कि साक्षाताकार एवं लिखित परीक्षा से पहले ही इस उम्मीदवार के आयु सीमा आदि को रिलेक्स कराने के लिए संस्थान की 30 नवम्बर 2009 को हुई गर्वनिंग काउंसिल की सभा में एक एजेडा बनाकर रखा और अनुचित ढग से पास करा कर मो0 इस्लाम को आयु सीमा में छुट प्रदान कर उसे साक्षातार, लिखित परीक्षा के लिए ठीक ठहरा दिया गया। दोबारा भी उसी पोस्ट को विभिन्न समाचार पत्रो दिनांक 12.02.2010 व 27 मार्च 2010 को समाचार पत्रो मे प्रकासित किया गया। यहॉ यह ध्यान देने योग्य बात है। कि उपरोत्त में मों इस्लाम के पुर्खो की जमीन संस्थान ने अर्जित की थी उसका मुवाजा संस्थान ने दिया है। उसकी एवज में नौकरी की चाह में वह वृर्षो से उत्पात मचाता रहा है। और नौकरी न मिलने पर उसने हाई कोर्ट इलाहाबाद मे याचिका संख्या 53498 वर्ष 2002 भी दायर कर रखी है की जमीन अर्जन की एवज मे उसे संस्थान में नौकरी दी जाये यह याचिका अभी भी लंबित है। और कोर्ट ने संस्थान को कोई ऐसा आदेश नही दिया है। कि मो0 इस्लाम को नौकरी दी जाये। फिर भी संस्थान ने याचिका के लंबित रहते हुए भी मो0 इस्लाम को पहले अनुचित रूप से प्रोजेक्ट में रू0 5,000/— प्रति माह पर नियुक्त कर लिया इसके बाद उसे रू0 12,000/—एच.आर.ए. प्रति माह पर जे.आर.एफ. की नियुक्ति दे दी गयी और उसके बाद रू0 25,000/—एच.आर.ए. प्रति माह पर जे.आर.एफ. की नियुक्ति दी गयी। जबकि जे.आर.एफ. की पोस्ट वैज्ञानिक प्रकृति की है। और मो0 इस्लाम शुद्ध रूप से आर्ट साइड का विद्यार्थी है। और अब गलत ढग से डिपार्टमेंटल कन्डीडेट की तरह उसकी आयु सीमा में छुट प्रदान करवा ली गयी है जबकि यह नियमानुसार डिपार्टमेंटल कन्डीडेट है ही नहीं और ना ही कोई विशेष योग्यता रखता है। इससे स्पष्ट होता है कि इस व्यक्ति के केस में किन्ही लालच के कारण संस्थान के अधिकारी मंत्रालय व कॉउसिल को गलत तथ्य प्रस्तुत करके उसको एपाइंमेंट देना चाहते है।

प्रशासनिक अधिकारी

(1) कृपया 17/6/18 को की जाने वाली लिखित परीक्षा स्थगित करके समस्त आवेदकों को सूचित करे
(2) उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के पश्चात परीक्षा की कार्यवाही की जायेगी
(3)

विनोद प्रकाश ...
14/6/18

संस्थान ने बहुत से अन्य ग्रामीणो की भुमि भी अर्जित कर रखी है। यदि इस एवज में संस्थान मो. इस्लाम को नौकरी दे रहा है तो क्या बाकी सभी ग्रामीणो के बच्चो को जिनकी जमीन ली गयी है। क्या संस्थान उनको भी नौकरी देगा। क्योकि मो0 इस्लाम के पास कोई और विशेष योग्यता नही है। महोदय से निवेदन है कि यह नियुक्ति निरस्त की जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस विषय में उपयुक्त कार्यवाही कर सी.पी.पी.आर.आई. में हो रही नियुक्तियो में धांधलियो को रूकवाने का कष्ट करे जिससे संस्थान व आपके मंत्रालय की छवि खराब न हो और सब व्यक्तियो को बराबर न्याय मिले।

धन्यवाद

संलग्न फोटो प्रतिः–
1 – 41.13 मों0 इस्लाम को आयु सीमा में छुट, नियुक्ति लवर डिविजन कर्लक, केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान सहारनपुर,

महोदय को इस आशय से व अपने स्तर से इस विषय में उचित कार्यवाही करवाने का कष्ट करे।

भवदीय
रविन्द्र राणा
एडवोकेट सिवल कोर्ट
सहारनपुर

प्रतिलिपि

1. सचिव, आई.पी.पी. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, उद्योग नीति एवं संर्वधन विभाग, नई दिल्ली
2. सचिव महोदय, केन्द्रीय सर्तकता आयोग, सतर्कता भवन ब्लाक – ए.जी.पी.ओ., काम्पलेक्स आई – एन .ए. नई दिल्ली– 110023
3. निदेशक, केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, पेपर मिल रोड, हिम्मत नगर, सहारनपुर – 247 001
4. प्रेस, विज्ञिप्ति